124 समक्ष :– माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म. प्र.

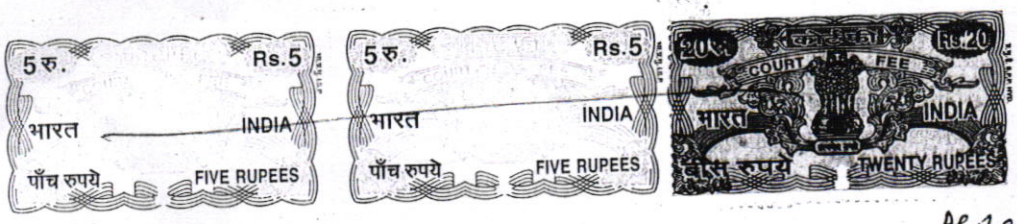

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R 5104-II/17 Rs.30/-

रामसिया पिता स्व. श्री रामचरण गड़ारी उम्र 48 वर्ष पेशा कृषि, मौजूदा निवासी ग्राम खेरवासानी थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना म. प्र. निगराकार।

बनाम

रामबाई पत्नी रामा कुशवाहा उम्र 55 वर्ष लगभग पेशा कृषि निवासी ग्राम खेरवासानी थाना अमदरा तहसील मैहर जिला सतना म. प्र. ....प्रत्यर्थिया

अधि० श्री सुरेश पाठक द्वारा पेश 9-3-17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार महोदय वृत्त अमदरा तहसील मैहर के राजस्व प्रकरण क. 2 अ 5/14–15 मे पारित आदेश दि. 18.11.2014 निगरानी अंतर्गत धारा 51 म. प्र. भू रा. सं.

मान्यवर,

निगरानी कर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है:–

1– प्रत्यर्थिया द्वारा ग्राम खेरवा सानी तहसील मैहर की आ. क. 231/2 रकवा 0.031 हे. का नक्शा तरमीम बावत् आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वृत्त अमदरा तहसील मैहर के न्यायालय मे प्रस्तुत किा गया जिस पर पटवारी हल्का खेरवा सानी व रा. नि. वृत्त अमदरा द्वारा बिना निगराकार को सुनवाई का अवसर दिये व नक्शा तरमीम के संबन्ध मे बिना सूचना दिये गलत तरीके से प्रत्यर्थिया के इशारो पर नाम मात्र का नक्शा तरमीम निगराकार की आराजी को प्रत्यर्थिया की आराजी दर्शित करते हुये नजरी नक्शा तैयार किया जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना निगराकार को सुनवाई का अवसर दिये मात्र राजस्व निरीक्षक अमदरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर नक्शा तरमीम की पुष्टि कर दी गई, जबकि उक्त आराजी क. 231/2 के स्वत्व के संबन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय मे निगराकार के पिता द्वारा प्रस्तुत की गई सक्षम अपील विचाराधीन है,

कमशः 2–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5104–दो/2017 निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
18/07/18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये । उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त अमदरा तहसील मेहर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 2 अ– 5/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18–11–2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल,म०प्र०ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा में दिनांक 9-3-2017 प्रस्तुत की गई है। २/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार, वृत्त अमदरा तहसील मेहर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 2 अ– 5/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18–11–2014 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरूप का है क्योंकि तहसीलदार ने यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 7० के अंतर्गत पारित करते हुये नक्शा तरमीम किया है, जिसके विरूद्व प्रथम अपील उपखंड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को प्रस्तुत होगी। म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।	

आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। आवेदक को इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विधि के प्रावधानों के अनुसरण में अपील प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सीधे सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य